तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
27/1/23	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर पुनः पक्षकार गण की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध हुई गई। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के आधार है तथा विपक्षीगण एक प्रकार के है कि प्रार्थी व विपक्षीगण की कुमल लालसिंह पुत्र राम बाण के खेत ख.नं. 133 रकबा 7-00 बीघा तथा 538 रकबा 103-06 बीघा के सम्बन्ध में बंटवारा का वाद न्यायालय में पेश किया गया तथा विपक्षीगण बंटवारा नहीं होने तक विपक्षीगण अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 17-05-2019 को आगामी तारीख पेशी तक भूमि के किसी भाग का बेचान आदि नहीं करने तथा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश भी न्यायालय से प्राप्त की। दिनांक 19/8/2019 को उक्त हस्तगत याचिका पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 39 नियम 2 'A' सी.पी.सी. धारा 151 CPC का विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्थगन होते हुए भी न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 17/5/19 की घोर अवहेलना कारित करते हुए [illegible] 19 को अभियोजित [illegible] पत्थर डालकर [illegible] कार्य करके पर आमादा है तो भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर गुड़ामालानी

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की में जारी हु

वर्तमान स्थिति में रद्दीकरण करने पर आमादा है। अधिकारी के पास आने के कारण दूसरी-दूसरी जमीन सड़क पर कब्जा करने पर उतारू है। इस प्रकार न्यायालय के आदेश की अवहेलना किये जाने से प्रतिवादीगण का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से अभि पर खण्ड व बजरी डालने की प्रस्तुत फोटोग्राफ से पुष्टि होती है। वहां पर स्पष्ट नहीं है कि ये खण्ड कब व किनके द्वारा डाले गए है। अवलोकन फोटोग्राफ निर्माण कार्य होने पर किसी प्रकार का नहीं है केवल निर्माण सामग्री होने पर उपलब्ध है, जबकि स्थल द्वारा भी मौके मुआयना के पर कथन किए है कि विपक्षीगण सामग्री डालकर निर्माण करने पर आमादा है।

चूंकि उपरोक्त अवलोकन से इस न्यायालय के स्थगन आदेश दिनांक 17 [illegible] अवहेलना प्रतिवादीगण द्वारा किया जाना [illegible] होता है। [illegible] का आदेश पत्र 039 R-2a कोर्ट फीस कम्प्लेट की देरी से स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:46:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी